

**समाहरणालय गोपालगंज**  
(जिला योजना कार्यालय)  
**आदेश**

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक 3756 दिनांक 10.11.11 के अनुसार माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम से प्राप्त अनुशांसा पत्र पत्रांक 72/13 दिनांक 24.02.13 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 123 दिनांक 06.03.13 तथा पत्रांक 233 दिनांक 25.04.13 के द्वारा प्राक्कलन क मांग की गई थी। प्राप्त प्राक्कलन पर योजनावार माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम, गोपालगंज के पत्रांक 76/13 दिनांक 22.05.13 के द्वारा सहमति प्राप्त है। तदनुसार कार्य० अभि०स्था० क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा प्राक्कलन तैयार कर निम्नलिखित 04 योजनाओं की मो० 964300.00 रू० की राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके द्वारा प्रदत्त योजनावार तकनीकी स्वीकृति मो० 964300.00 रू० अंचल अधिकारी की भूमि उपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर योजनावार कुल मो० 964300.00 रू० की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में कार्य० अभि० स्था० क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को कार्य एजेन्सी नामित किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में मो० 482000.00 रू० मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि/प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रथम किस्त में अग्रिम राशि	योजना पूर्ण होने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	प्रखंड कुचायकोट जलालपुर कॉलेज से पूरब त्रिमोहानी से पूरब कुर्मी टोला की ओर जाने वाली पथ में पी०सी०सी० ढलाई कार्य।	466000.00	466000.00	233000.00	3 माह
2	उचकागांव प्रखंड अंतर्गत ग्राम अम्बेदकर नगर गुरमाहा से पचमवा पुल की ओर जाने वाली नहर पाईन के पट्टी पर मि०/ई० कार्य।	498300.00	498300.00	249000.00	3 माह
योग :-		964300.00	964300.00	482000.00	

नजीर जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त राशि मो० 482000.00 (चार लाख बेरासी हजार) रू० मात्र को चेक माननीय सांसद पूर्णमासी राम के अंश निधि से तैयार कर कार्य एजेन्सी कार्य० अभियंता, एल०ए०ई०ओ०, गोपालगंज को उचित रीति एवं पहचान पर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्य एजेन्सी कार्य० अभियंता एल०ए०ई०ओ०, गोपालगंज को निदेश है कि इस आदेश से विमुक्त राशि 482000.00 (चार लाख बेरासी हजार) रू० मात्र से योजना का कार्यान्वयन विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में निविदा के माध्यम से निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्यान्वयित कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. योजना का कार्य प्रारंभ के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुद्ध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.13 संलग्न पत्र एवं सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 6831 दिनांक 26.08.2013 के कड़िका नियम 159(क) 1 में निहित निदेश के आलोक में 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू० मात्र कम राशि की योजनाओं के लिए दैनिक समाचार पत्र/इन्टरनेट में निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू० से कम लागत की योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर पचार-प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। 7.50 (सात लाख

3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 50 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सकें।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना कार्य सम्पादित किया जाय।
6. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ काने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख-रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सकें।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो, तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह के 2 री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/

जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

ज्ञापांक... 528 /यो,दिनांक 1 / 10 / 2013

प्रतिलिपि:—कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0मैनेजर,एन0आई0सी0,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13/10/13  
जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

ज्ञापांक... 528 /यो,दिनांक 1 / 10 / 2013

प्रतिलिपि:—संयुक्त निदेशक,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना की सेवा में को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—जिला पदाधिकारी,गोपालगंज की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी,सारण प्रमंडल,छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/13  
जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।